

लेखा . योग

२००१-०२ में विअविअ धन का अन्तः प्रवाह

अङ्क ९५ अगस्त-०३ (जून- ०४ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| कुल प्राप्तियाँ | १ | शीर्ष २५ दान ग्रहीता संस्थाएँ | ३ |
| अभिदाय के स्रोत | १ | धार्मिक निधिकरण | ३ |
| प्राप्ति के उद्देश्य | २ | राज्यवार प्राप्तियाँ | ४ |
| २५ शीर्ष दातव्य संस्थाएँ | २ | १ करोड़ से अधिक | ४ |

लेखा . योग ९४ में, वर्ष २०००-२००१ में प्राप्त विदेशी अभिदाय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अब हम उसी तरह का विश्लेषण वर्ष २००१-०२ के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।


कुल प्राप्तियाँ

वर्ष २००१-०२ में १५,६१८ संस्थाओं ने विअ- ३ विवरण प्रेषित किया। उन्होंने कुल ४,८७१ . ८७ करोड़ रुपयों की प्राप्ति का विवरण दिया। वर्ष २०००-०१ में यह आँकड़ा ४,५३५ . २३ करोड़ था।

पिछले दस वर्षों (१९९२-९३ से २००१-०२ तक) में अभिदाय की वार्षिक बढ़ोतरी १३ .३ प्रतिशत की दर से हुई। औसत अभिदाय की प्राप्ति प्रति संस्था ९२-९३ में १५ . ५३ लाख से बढ़ कर २००१-०२ में ३१ . १९ लाख तक हो गई है।

अभिदाय के स्रोत

यह अभिदाय कहाँ से आता है? प्रतिवेदन सूची में १५१ देशों के नाम हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (१,६५८ . २९ करोड़ रुपये) से ले कर मालावी (१,००० रुपये!) तक सम्मिलित हैं। साथ ही इस सूची में एक श्रेणी 'अन्य दाता' है - इनका अंशदान कुल २५ . ४७ करोड़ रुपये है। बड़े वृत् के साथ दी गई पट्टी में दिखाया गया है कि आठ पश्चिमी देश कुल अभिदाय का ८५ प्रतिशत धन भेजते हैं जो कि ४,१२७ करोड़ रुपये है।



१ विदेशी अभिदाय


प्राप्ति के उद्देश्य

प्राप्ति के उद्देश्यों का विश्लेषण सम्भवतः इतना विश्वसनीय न हो, क्योंकि अधिकतर जनसेवी संस्थाएँ अपने व्ययों का सटीक वर्गीकरण नहीं कर पाती हैं। इस वर्ष विअविअ^३ विभाग ने भी व्यय दिखाने के लिए २८ नये उद्देश्य दिये हैं।

इस वर्ष राहत में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है जो कि ९८-९९ में १ प्रतिशत से बढ़ कर २००१-०२ में ९.२ प्रतिशत हो गया है। पूरी सम्भावना है कि यह दाताओं के प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण नहीं हुआ, अपितु अधिक सम्भावना यह है कि ऐसा दो प्राकृतिक आपदाओं (उड़ीसा में चक्रवात तथा गुजरात में भूकम्प) के एक साथ आने के कारण हुआ।

२००१-०२ में उद्देश्यों के अनुसार प्राप्ति

४,५३५ करोड़ रुपये



२५ शीर्ष दातव्य संस्थाएँ

विअविअ वृत्तान्त में २५ बड़ी दातव्य संस्थाओं की भी सूची दी गई है। इन दातव्य संस्थाओं का संयुक्त अभिदाय १,११७.१४ करोड़ रुपये है जो कुल अन्तः प्रवाह का २३ प्रतिशत है।

इन आँकड़ों में द्विदेशीय अभिदाय (विदेशी शासन से भारतीय शासन को) या संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त अभिदाय सम्मिलित नहीं है।

| संस्था | देश | रुपये (करोड़ में) |
|--|-----------------------|-------------------|
| १. गॉस्पेल फॉर एशिया | संयुक्त राज्य अमेरिका | १११.१६ |
| २. वर्ल्ड विज़न इण्टरनेशनल | संयुक्त राज्य अमेरिका | ७८.३३ |
| ३. फॉस्टर पेरेंटस् प्लान इण्टरनेशनल | संयुक्त राज्य अमेरिका | ७२.३७ |
| ४. एक्शनएड | युनाइटेड किंगडम | ७१.१९ |
| ५. फाउण्डेशन विन्सेण्ट फ़ैरर | स्पेन | ६३.०६ |
| ६. फोर्ड फाउण्डेशन | संयुक्त राज्य अमेरिका | ५६.०५ |
| ७. महर्षि आयुर्वेद ट्रस्ट | युनाइटेड किंगडम | ४६.५७ |
| ८. बी ए पी एस केअर इण्टरनेशनल | संयुक्त राज्य अमेरिका | ४६.२८ |
| ९. क्रिश्चियन चिल्ड्रन्स फण्ड | संयुक्त राज्य अमेरिका | ४४.२७ |
| १०. ई जेड ई | जर्मनी | ४३.८८ |
| ११. मानोस युनिडास | स्पेन | ४२.१४ |
| १२. मिस्सिओ | जर्मनी | ४०.५८ |
| १३. किण्डर नॉट हिल्फी | जर्मनी | ३९.४८ |
| १४. प्लान इण्टरनेशनल | युनाइटेड किंगडम | ३५.९८ |
| १५. एस ओ एस किण्डरडोर्फ इण्टरनेशनल | आस्ट्रिया | ३४.६१ |
| १६. मिजेरोर मोजेरस्ट्रेस | जर्मनी | ३४.४९ |
| १७. स्वीस एजेंन्सि फॉर डेवलपमेण्ट एण्ड कोऑपरेशन् | स्वीट्जरलैण्ड | ३३.८९ |
| १८. कोर्ड एड | नीदरलैण्ड | ३२.७९ |
| १९. इण्टर चर्च कोऑर्डिनेशन् कमेटी (इको) | नीदरलैण्ड | २८.७२ |
| २०. कॅम्पैशन् इण्टरनेशनल | संयुक्त राज्य अमेरिका | २८.६९ |
| २१. द लेप्रसी मिशन | युनाइटेड किंगडम | २७.३१ |
| २२. क्रिश्चियन एड | युनाइटेड किंगडम | २६.९३ |
| २३. कैथोलिक रिलीफ सर्विस | संयुक्त राज्य अमेरिका | २६.४० |
| २४. मिशन ऑफ मर्सी | संयुक्त राज्य अमेरिका | २६.२२ |
| २५. चिल्ड्रन इण्टरनेशनल | संयुक्त राज्य अमेरिका | २५.७६ |

३ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम

शीर्ष २५ दान ग्रहीता संस्थाएँ

इस धन को कौन प्राप्त करता है? १५,६१८ संस्थाओं की एक लम्बी सूची है जिन्होंने इस अभिदाय को प्राप्त किया है। परन्तु, यहाँ केवल २५ शीर्ष दान ग्रहीताओं की सूची दी जा रही है।

इस सूची में जनसेवी संस्थाएँ तथा दातव्य संस्थाएँ दोनों हैं। संयुक्त रूप से इन २५ संस्थाओं ने वर्ष २००१-०२ में १,०९७ करोड़ रुपये प्राप्त किये जो कि कुल अन्तः प्रवाह का २३ प्रतिशत है। इसमें से २३ प्रतिशत (लगभग ३१८ करोड़ रुपये) दातव्य संस्थाओं ने प्राप्त किया। इन्हें सारणी में अलग से नीचे दिखाया गया है।

| संस्था | राज्य | रुपये (करोड़ में) |
|---|---------------|-------------------|
| १. बोचासनवासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था | गुजरात | १०७ |
| २. गॉस्पेल फॉर एशिया | केरल | ९९ |
| ३. वर्ल्ड विज़न | तमिलनाडू | ८८ |
| ४. रूरल डैवलपमेण्ट ट्रस्ट | आन्ध्र प्रदेश | ६३ |
| ५. महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्या पीठ | आन्ध्र प्रदेश | ४२ |
| ६. सेवन्थ डे एडवेंचरिस्ट | तमिलनाडू | ४० |
| ७. माता अमृतानन्दमयी मिशन | केरल | ३९ |
| ८. ॐ शक्ति नारायणी सिद्धार पीदम चेरिटेबल ट्रस्ट | तमिलनाडू | ३५ |
| ९. श्री सत्य साईं सेण्ट्रल ट्रस्ट | आन्ध्र प्रदेश | ३४ |
| १०. लेप्रसी मिशन ट्रस्ट | दिल्ली | ३३ |
| ११. द चर्च कॉउन्सिल फॉर चाइल्ड एण्ड यूथ केअर | कर्नाटक | ३२ |
| १२. कॉम्प्रिहेन्सिव रिहबिलिटेशन् ऑरगनाइजेशन एण्ड सर्विस सोसायटी | कर्नाटक | २७ |
| १३. तिब्बतन चिल्ड्रन्स विलेज | हिमाचल | २६ |
| १४. एस ओ एस चिल्ड्रन्स विलेज | दिल्ली | २६ |
| १५. इण्डिया कैम्पस क्रुसेड फॉर काइस्ट | कर्नाटक | २३ |
| १६. मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी | पश्चिम बङ्गाल | २३ |
| १७. दलाईलामा सेण्ट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी | हिमाचल | २१ |
| १८. ए एम जी इण्डिया इण्टरनेशनल | आन्ध्र प्रदेश | २० |
| दातव्य संस्थाएँ | | |
| १. फॉस्टर पेरेंटस् प्लान इण्टरनेशनल | दिल्ली | ६७ |
| २. कैरिटास इण्डिया | दिल्ली | ६७ |
| ३. एक्शनएड | कर्नाटक | ५७ |
| ४. चर्च आक्सिलियरी फॉर सोशल एक्शन (कासा) | दिल्ली | ५२ |
| ५. औक्सफैम (इण्डिया) ट्रस्ट | दिल्ली | २८ |
| ६. सेव द चिल्ड्रन फण्ड | दिल्ली | २३ |
| ७. इण्डो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी | दिल्ली | २३ |


धार्मिक दान

ऊपर की सारणी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर संस्थाओं की धार्मिक सहलग्नता है। इसका विश्लेषण विस्मयजनक परिणाम दर्शाता है। (देखें वृत्त)

लगभग अस्सी प्रतिशत से अधिक निधि धार्मिक संस्थाओं को जाती है। केवल बीस प्रतिशत निधि ऐसी संस्थाओं को जाती है जिनकी कोई धार्मिक सहलग्नता नहीं है।

यह विश्लेषण इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है कि धार्मिक विश्वास सम्भवतः दान देने का मुख्य कारण है न कि आधुनिक उदारता।

ध्यान रखें कि यह विश्लेषण केवल २५ शीर्ष दानग्रहीता संस्थाओं के विषय में उपलब्ध सूचना के आधार पर बनाया हुआ है। सभी १५,६१८ संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि का विश्लेषण कुछ भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक धार्मिक सहलग्नता वाली संस्था अन्य कार्यों के लिए भी धन का व्यय कर सकती है।



राज्यवार प्राप्तियाँ


वर्ष २००१-०२ में बीस राज्यों ने ४,७८१ करोड़ या कुल अन्तः प्रवाह का ९८.१ प्रतिशत प्राप्त किया। शेष १.९ प्रतिशत बाकी ९ राज्यों तथा ५ केन्द्र शासित प्रदेशों की ५७० संस्थाओं को गया।

| राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | करोड़ | प्रतिशत | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | करोड़ | प्रतिशत |
|------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|---------|
| १. दिल्ली | ७९५.४२ | १६.३१ | १२. बिहार | ६८.४५ | १.४० |
| २. तमिलनाडू | ६९५.४९ | १४.२८ | १३. मध्य प्रदेश | ६८.०७ | १.४० |
| ३. आन्ध्र प्रदेश | ५५९.५६ | ११.४९ | १४. राजस्थान | ५८.६२ | १.२० |
| ४. कर्नाटक | ५०४.९८ | १०.३७ | १५. उत्तरांचल | ५८.३५ | १.२० |
| ५. महाराष्ट्र | ४६४.३५ | ९.५३ | १६. झारखण्ड | ५२.६६ | १.०८ |
| ६. केरल | ४५९.५४ | ९.४३ | १७. पञ्जाब | ३६.०१ | ०.७४ |
| ७. गुजरात | ३२४.५७ | ६.६६ | १८. मेघालय | ३३.६८ | ०.६९ |
| ८. पश्चिम बङ्गाल | २५६.१३ | ५.२६ | १९. असम | ३२.०६ | ०.६६ |
| ९. उड़ीसा | १०७.६२ | २.२१ | २०. छत्तीसगढ़ | २७.९२ | ०.५७ |
| १०. उत्तर प्रदेश | १०३.९९ | २.१३ | २१. शेष राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | ९१.३० | १.८७ |
| ११. हिमाचल प्रदेश | ७४.१० | १.५२ | | | |
| | | | योग ४८७१.८७ १००.०० | | |

१ करोड़ से अधिक

लगभग ८५७ (५.५ प्रतिशत) संस्थाओं ने २००१-०२ में प्रति संस्था १ करोड़ रुपये से अधिक का अभिदाय प्राप्त किया है। अन्य १४,७६१ (९४.५ प्रतिशत) संस्थाओं ने प्रति संस्था १ करोड़ रुपये से कम का अभिदाय प्राप्त किया है।

१ करोड़ रु० से अधिक प्राप्त करने वाले सङ्गठन



इस अङ्क में दिया गया विश्लेषण, गृह मन्त्रालय द्वारा बनाए किये गये "विदेशी अभिदाय का अन्तःप्रवाह प्रतिवेदन २००१-०२" के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में विदेशी अभिदाय के बहुत से मूल्यवान आँकड़े जुटाए गए हैं। इस जानकारी को सीमित संसाधनों द्वारा कठिन परिश्रम करके संग्रहीत करने के लिए, हम विअविअ विभाग का साधुवाद करते हैं।

प्रस्तुत विश्लेषण की कुछ सीमाएँ हैं। यदि इसे सावधानी से न पढ़ा जाए, तो दोषपूर्ण निर्वचन हो सकता है। अतः आप से निवेदन है कि प्रत्येक सारणी के साथ दी गई टिप्पणी को अवश्य पढ़ें।

□ माल (वस्तु) के रूप में विदेशी अभिदाय का कभी-कभी मूल्याङ्कन नहीं होता या उनकी सूचना सम्बन्धित जनसेवी संस्था द्वारा नहीं दी जाती। फलतः आँकड़े तथा विश्लेषण उसी के अनुसार बिगड़ेंगे।

□ इस आँकड़े में शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए प्राप्त धन सम्मिलित है। यह धन किसी 'समाज-परिवर्तन संस्था' विकास संस्था, धार्मिक निकाय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय तथा सरकार द्वारा स्थापित जनसेवी संस्था द्वारा प्राप्त किया गया हो सकता है। किसी विशेष वर्गीकरण के अभाव में तथा पढ़ने की सुविधा के लिए हमने सबके लिए जनसेवी संस्था शब्द का प्रयोग किया है।

□ विअविअ विभाग ने जनसेवी संस्थाओं तथा अभिदाय देने वाली दातव्य संस्थाओं के बीच कोई भेद नहीं किया है। हमने उन संस्थाओं के लिए, जो मुख्यतः अन्य संस्थाओं को दान देती हैं "दातव्य संस्था" शब्द का प्रयोग किया है।

□ एक करोड़ = १०,०००,०००। वर्तमान में भारतीय एक करोड़ रुपये २२७,००० अमेरिकी डालर के बराबर हैं। एक लाख = १००,०००

लेखा-योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करे तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा-योग का यही उद्देश्य है।

लेखा-योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्कक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा-योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

लेखा-योग सम्पुटिका - जनसेवी संस्थाओं के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें।

accountaid-subscribe@topica.com

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३२२८;

दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष: accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com © AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् ज्येष्ठ १९२५; जून २००४ ईस्वी

३ लक्षद्वीप में विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत कोई संस्था नहीं है।